COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(53) निगरानी 908-II-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डली म.प्र. ग्वालियर मोती महल ग्वालियर

प्र.क्र.

श्री प्रकाश शर्मा अधि० द्वारा प्रस्तुत

16-4-15

धन्नीबाई पति शंभुलाल आयु 40 साल धंधा खेती

निवासी सीतामऊ कृषिक ग्राम गलियारा परगना सीतामऊ

जिला मंदसौर म.प्र. .... आवेदिका

विरुद्ध

1. लक्ष्मीबाई विधवा नारू हरिजन वयस्क
2. तेजु पिता नारू हरिजन वयस्क
3. दिपक पिता नारू हरिजन वयस्क
4. दिनेश पिता नारू हरिजन वयस्क
5. शम्भु पिता नारू हरिजन वयस्क सभी निवासीगण

सीतामऊ जिला मंदसौर

6. अशोक पिता मांगीलाल आयु 50 साल जाति मेहतर

निवासी धमोतर दरवाजा प्रतापगढ़ परगना व जिला

प्रतापगढ़ राजस्थान .... अनावेदकगण

क्रमांक 5178

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज

दिनांक ... को प्राप्त

23-4-15

...लियर

राज...

माननीय महोदय,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार परगना सीतामऊ के प्रकरण क्रमांक 5/अ6/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 24-3-2015 से परिवेदित होकर अन्दर मियाद पेश है ।

1. रिवीजन के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत है :-

1. यहकि, ग्राम गलियारा स्थित परगना सीतामऊ स्थित भूमि नम्बर 18 जिसका नया नम्बर 97 क्षैत्रफल 1.000 दिवगंत मांगीलाल पिता गुंलाब जी मेहतर निवासी सीतामऊ की भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य की होकर आवेदिका मांगीलाल की पुत्रवधु होकर मांगीलाल की वृद्वा अवस्था मे,सेवा चाकरी से खुश होकर मांगीलाल ने उक्त भूमि आवेदिका के नाम वसीयत दिनांक 2-11-1995 को कर दी मांगीलाल के स्वर्गवास के पश्चात आवेदिका भूमि का उपयोग व उपभोग निबोध रूप से करती चली आ रही है । अनावेदक के पति नारू ने मांगीलाल की मृत्यु होने पर पटवारी मौजा से मिलकर छुपमा तौर पर

स्यामीबाई | लक्ष्मीबाई

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(53) (43)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 908/II/15 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-7-19	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार, सीतामऊ के प्रकरण क्रमांक 5/31-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 24-3-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14-10-19 को कलेक्टर मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	